राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–365/2015

चन्द्र प्रकाश शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
2. अति. निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी रेफ्रिजरेटर मेकेनिक के पद पर नियुक्त हुआ था। संशोधित वेतनमान नियम–1989 लागू होने पर अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 950–1680 में रखा गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने बाद में आदेश दिनांक 09.06.2014 के द्वारा यह माना कि रेफ्रिजरेटर मेकेनिक को पुनरीक्षित वेतनमान नियम–1989 के तहत वेतनमान 910–1530 ही देय है तथा नवीन वेतनमान 1998 के तहत श्रृंखला 2950–4475 देय होती है यदि कोई रेफ्रिजरेटर मेकेनिक नवीन वेतनमान 1989 के तहत वेतनमान 950–1680 तथा नवीन वेतनमान 1998 के तहत वेतन श्रृंखला 3050–4590 प्राप्त कर रहे है तो उन्हें संशोधित करवा कर अधिक हुए भुगतान की वसूली की जाए। उक्त आदेश दिनांक 09.06.2014 के आधार पर अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत वेतन श्रृंखला संशोधित की गई और अपीलार्थी की वर्ष 1989 से 1996 तक की वसुली की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी से वसुली किये जाने की हद तक प्रत्यर्थी विभाग के आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी की ओर से यह भी कथन किया गया है कि इस अधिकरण द्वारा पूर्व में समान मामले में अपील संख्या 1161/2002 शंकर सिंह बनाम निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.

2018 में वसुली की हद तक प्रत्यर्थी विभाग के आदेश को अपास्त किया और वसुली की राशि लौटाने के आदेश दिये हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को गलत प्रकार से वेतन श्रृंखला दी गई है, जिसे संशोधित कर रिकवरी की गई है, जो नियमानुसार सही है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है:–

> State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195
> "12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
> (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
> (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
> (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
> (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

4. इस अधिकरण ने अपील संख्या 1161/2002 शंकर सिंह बनाम निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 में रफिक मसीह में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार से निर्णय दिया था:–

> "6. In the light of above ruling of Hon'ble Supreme Court of India the Finance Department of State Government has also issued circular dated 17.08.2016 reiterating the aforesaid principles. In our view, the recovery of amount which is more than 5 years old is not legally permissible. More so because pay scale was granted to Appellant Without any misrepresentation on his part.
>
> 7. In view of the above discussion, the appeal is partly allowed. Interim stay dated 05.06.2002 staying recovery from Appellant is made absolute and it is ordered that if any, excess amount paid to Appellant has been recovered, the same may be returned to him within 3 months from the date of this order. Costs made easy."

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1161 / 2002 शंकर सिंह बनाम निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में भी इस अधिकरण द्वारा पारित अपील संख्या 1161 / 2002 शंकर सिंह बनाम निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 लागू किया जाये एवं वे समस्त लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जाये जो उक्त आदेश से शंकर सिंह को प्रदान किये गये हैं।
6. प्रत्यर्थी विभाग को इस आदेश पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं एवं इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)